भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. Ł4209
दिनांक 26.03.2025 को उत्तर देने के लिए

खनन में वैश्विक सुरक्षा मानक

Ł4209. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) खनन क्षेत्रों के आसपास के स्थानीय समुदायों को रोजगार सृजन, बुनियादी ढ़ांचे के विकास और शिक्षा के संदर्भ में खनन परियोजनाओं से आर्थिक रूप से लाभान्वित करने के लिए कार्यान्वित की गई रणनीतियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार किस तरह से खनन उद्योग में श्रमिकों की सुरक्षा की निगरानी कर रही है और खनन कार्य में वैश्विक सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे सुधारों का ब्यौरा क्या है;
(ग) इस तथ्य के दृष्टिगत कि अवैध खनन देश के कई क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, अवैध खनन को रोकने और इससे होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक नुकसान को कम करने के लिए क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं; और
(घ) स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर श्वसन संबंधी समस्याओं और जलजनित रोगों सहित खनन कार्यों के नकारात्मक प्रभावों का शमन करने के लिए कौन से स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9ख राज्य सरकारों को खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) स्थापित करने का अधिकार देती है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) डीएमएफ के तहत एकत्रित निधियों के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों तथा लोगों के कल्याण और विकास के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं के लिए कार्यान्वयन की रूपरेखा प्रदान करती है। पीएमकेकेकेवाई में

शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका सृजन सहित उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए कम से कम 70% निधियों के उपयोग और वास्तविक अवसंरचना सहित अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 30% तक निधियों का उपयोग करने का प्रावधान है। जनवरी 2025 तक 1,04,251 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं, जिनमें से 3.69 लाख परियोजनाओं के लिए 88,483 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए हैं। देश के 23 राज्यों के 645 डीएमएफ जिलों में कुल 2.08 लाख परियोजनाएं पूरी की गई हैं और 55,924 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

(ख) खानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को खान अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। खानों में कार्यरत व्यक्तियों के कल्याण संबंधी प्रावधानों को खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीजीएमएस को खानों के निरीक्षण का कार्य सौंपा गया है। डीजीएमएस ने खान में होने वाली मौतों को कम करने और वहां तैनात श्रमिकों की सुरक्षा को लागू करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं का निरीक्षण कर कारण और परिस्थितियों का पता लगाना, खानों का नियमित निरीक्षण, मानक प्रोटोकॉल का विकास, खानों में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, सुरक्षा सप्ताह, अभियान, जागरूकता आदि का पालन करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, खान मालिक/पट्टेदार खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार खनिकों के कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा, खान सीमा के भीतर काम करते समय धूल, धुएं और हानिकारक गैसों से खनिकों की सुरक्षा के लिए धातु खान विनियम 1961 और कोयला खान विनियम 2017 में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

(ग) एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 23ग के अनुसार, राज्य सरकारों को प्रमुख और गौण खनिजों दोनों के लिए अवैध खनन, ढुलाई और खनिजों के भंडारण की रोकथाम तथा उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार है। इसलिए, अवैध खनन से संबंधित मामले राज्य सरकारों के विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केंद्र सरकार समय-समय पर नीतिगत पहलों के माध्यम से इन प्रयासों का समर्थन और संवर्द्धन करती है। अवैध खनन की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. एमएमडीआर अधिनियम 1957 में वर्ष 2015 के संशोधन ने अवैध खनन के लिए कठोर दंड शुरू किया, जिसमें पांच साल तक की कैद और प्रति हेक्टेयर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है, और त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है।

ii. खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर) 2017 के नियम 45 में खनन प्रक्रिया के वैज्ञानिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उपाय दिए गए हैं।

iii. खान मंत्रालय ने देश में अवैध खनन गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए आईबीएम के माध्यम से, भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी), गांधीनगर और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ समन्वय से खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) विकसित की है।

(घ) पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और स्वास्थ्य देखभाल पीएमकेकेकेवाई के उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आते हैं, जिसके अंतर्गत डीएमएफ निधि का उपयोग करके परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। जनवरी 2025 तक पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के तहत कुल 8,792 परियोजनाएं और डीएमएफ द्वारा स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के तहत 21,548 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)	व्यय की गई राशि (करोड़ रुपये में)
पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण	8,792	1,629.92	1,023.27
स्वास्थ्य देखभाल	21,548	8,640.18	6,156.76

*****